

वाहन स्कैपिंग नीति और इसके हालिया विकास

इस लेख में क्या अपेक्षित है:

1. चर्चा में क्यों
2. परिचय
3. पृष्ठभूमि: वाहन स्कैपिंग नीति
4. नीति की मुख्य विशेषताएँ
5. वाहन स्कैपिंग नीति की आवश्यकता
6. नीति के प्रमुख चालक
7. वाहन स्कैपिंग नीति के लाभ
8. वाहन स्कैपिंग नीति से जुड़ी चुनौतियाँ
9. नीति सुधार के लिए सुझाव और सिफारिशें
10. यूपीएससी के लिए प्रमुख अवधारणाएँ
11. निष्कर्ष
12. प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न
13. मुख्य अभ्यास प्रश्न



Result Mitra

VEHICLE SCRAPPING POLICY

AND ITS RECENT DEVELOPMENTS



चर्चा में क्यों?

- पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं (RVSF) का निलंबन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहन स्क्रेपिंग नीति में उल्लिखित नियामक मानकों का पालन न करने के कारण नौ पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं (RVSF) को निलंबित कर दिया है। इन सुविधाओं में कई प्रमुख दिशानिर्देशों का उल्लंघन पाया गया, जिनमें शामिल हैं:
 - वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता: कई RVSF ने मोटर वाहन (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के तहत 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
 - CPCB दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन: कुछ सुविधाओं में वाहन के पुर्जों के अनुचित निपटान सहित, जीवन-अंत वाहनों (ELV) के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन से संबंधित केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नियमों का उल्लंघन पाया गया।
 - अमान्य जमा प्रमाणपत्र (CoD): ये RVSF आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षरों के बिना CoD जारी कर रहे थे, जिससे वे व्यापार और प्रोत्साहन उद्देश्यों के लिए अमान्य हो गए।

की गई कार्रवाई:

निलंबित RVSF को मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) द्वारा आयोजित सरकारी ई-नीलामी में भाग लेने से तब तक प्रतिबंधित कर दिया गया है जब तक वे आवश्यक अनुपालन मानकों को पूरा नहीं कर लेते। यह हालिया कार्रवाई वाहन स्क्रेपिंग नीति को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती है, खासकर पर्यावरणीय और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करने में।

परिचय:

भारत की वाहन स्क्रेपिंग नीति प्रदूषण को नियंत्रित करने, वाहन सुरक्षा को बढ़ावा देने और ऑटोमोबाइल उद्योग को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख नीति पहल के रूप में उभरी है। इसका उद्देश्य केवल पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना नहीं है, बल्कि एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देना भी है। इस लेख में हम नीति के स्थिर और समसामयिक पहलुओं को शामिल करेंगे, जिसमें पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं (RVSF) के निलंबन जैसे हालिया घटनाक्रमों के साथ-साथ प्रमुख लाभों, चुनौतियों और सुधार के सुझावों को भी संबोधित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि: वाहन स्क्रेपिंग नीति

मार्च 2021 में शुरू की गई भारत की वाहन स्क्रेपिंग नीति पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को नए, अधिक कुशल वाहनों से बदलने के उद्देश्य से डिज़ाइन की गई थी। यह नीति स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्सर्जन, यातायात की भीड़ और तेल पर निर्भरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना है।

नीति की मुख्य विशेषताएँ:

• फिटनेस परीक्षण की आवश्यकता:

15 वर्ष से अधिक पुराने (वाणिज्यिक) और 20 वर्ष से अधिक पुराने (व्यक्तिगत) वाहनों को सड़क पर चलने योग्य बने रहने के लिए एक स्वचालित फिटनेस परीक्षण पास करना होगा। यदि कोई वाहन इसमें विफल रहता है, तो उसे स्कैप कर दिया जाएगा।

• चक्रीय अर्थव्यवस्था:

इस नीति का उद्देश्य स्टील, एल्युमीनियम और प्लास्टिक जैसे वाहन पुर्जों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान करता है।

• आर्थिक प्रोत्साहन:

वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहन को स्कैप करने पर एक स्कैपिंग प्रमाणपत्र प्राप्त होता है। यह प्रमाणपत्र कर छूट, नए वाहन खरीद पर छूट और व्यापार योग्य होता है।

• स्वचालित फिटनेस केंद्र:

सरकार द्वारा प्रमाणित केंद्र फिटनेस परीक्षण करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल आधुनिक उत्सर्जन और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले वाहन ही सड़कों पर चलने की अनुमति पाएंगे।

• फिटनेस परीक्षण की लागत:

एक फिटनेस परीक्षण की लागत लगभग 40,000 रुपये है। परीक्षण में विफल होने पर वाहन को स्कैप कर दिया जाएगा और उसका पुनः पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

वाहन स्कैपिंग नीति की आवश्यकता

भारत में पुराने वाहनों का बढ़ता हुआ बेड़ा 2025 तक दो करोड़ से अधिक वाहनों को अपने जीवनकाल के अंत के करीब पहुंचा देगा। साथ ही, हर दिन 1,400 नए वाहन जुड़ रहे हैं, जो प्रदूषण, भीड़भाड़ और वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि का कारण बन रहे हैं।

नीति के प्रमुख कारक:

• पर्यावरणीय प्रभाव:

15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन नए मॉडलों की तुलना में बहुत अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करते हैं। आईआईटी बॉम्बे के अध्ययन (2014) के अनुसार, 2005 से पहले निर्मित वाहन 70% वाहन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

• सरकारी पहल:

यह नीति पहले के नियमों पर आधारित है, जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) का 2015 में फैसला, जिसने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

वाहन स्कैपिंग नीति के लाभ

वाहन स्कैपिंग नीति पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों का वादा करती है, जिसका उद्देश्य भारत के वाहन बेड़े का आधुनिकीकरण और एक मजबूत रीसाइक्लिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

मुख्य लाभ:

• ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा:

इस नीति से घरेलू ऑटोमोबाइल बाजार को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, और इस क्षेत्र में 22% वार्षिक वृद्धि का अनुमान है।

• वायु प्रदूषण पर अंकुश:

पुराने वाहनों को स्कैप करने से उत्सर्जन कम होगा और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। उदाहरण के लिए, एक 15 साल पुराना वाहन 25 नई पीढ़ी के वाहनों के बराबर उत्सर्जन करता है।

• आर्थिक विकास:

स्कैपिंग नीति से विशेष रूप से स्कैपिंग और रीसाइक्लिंग उद्योगों में पर्याप्त आर्थिक गतिविधि उत्पन्न होगी, जिससे स्टील, एल्युमीनियम और प्लास्टिक जैसी मूल्यवान सामग्री की वसूली होगी।

• कर राजस्व में वृद्धि:

नए वाहनों की बढ़ती मांग से कर राजस्व में भी वृद्धि होगी, जिससे सरकार के खजाने में संभावित रूप से 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

• तेल आयात में कमी:

ईंधन-कुशल वाहनों को बढ़ावा देकर, इस नीति से 2025 तक भारत की ईंधन मांग में 22.97 मिलियन टन की कमी आने की उम्मीद है, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी।

वाहन स्कैपिंग नीति से जुड़ी चुनौतियाँ

अपने अनेक लाभों के बावजूद, वाहन स्कैपिंग नीति को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो इसके सफल कार्यान्वयन में बाधा बन सकती हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

• स्कैपिंग अवसंरचना:

भारत में ग्रेटर नोएडा में केवल एक सरकारी-अधिकृत स्कैपिंग सुविधा है, जिसमें स्कैपिंग की आवश्यकता वाले बड़ी संख्या में वाहनों को संभालने की सीमित क्षमता है।

• स्कैपिंग से प्रदूषण:

अनुचित स्कैपिंग प्रक्रियाओं से पारा, सीसा और कैडमियम जैसे जहरीले पदार्थ निकल सकते हैं, जिनका यदि उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुँच सकता है।

• वित्तीय व्यवहार्यता:

वाहन मालिकों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, के लिए मौद्रिक प्रोत्साहनों का वित्तपोषण एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कई वाहन मालिक वित्तीय बाधाओं के कारण पुराने वाहनों पर निर्भर हैं।

नीति सुधार हेतु सुझाव और सिफारिशें

चुनौतियों का समाधान करने और वाहन स्क्रेपिंग नीति के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए, कई प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं:

- **इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से स्क्रेपिंग को जोड़ना:**

दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की तरह, राष्ट्रीय नीति को भी स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) से बदलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

- **विटेज कारों के लिए छूट:**

विटेज और क्लासिक कारों को स्क्रेपिंग से छूट दी जा सकती है, क्योंकि ये कारें आमतौर पर अच्छी तरह से रखरखाव की जाती हैं और इनका उपयोग सीमित होता है।

- **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर):**

सरकार को निर्माताओं के लिए ईपीआर लागू करना चाहिए, जिससे उन्हें अपने वाहनों के जीवनकाल के अंत में निपटान के लिए ज़िम्मेदार बनाया जा सके।

यूपीएससी के लिए कुछ प्रमुख संकल्पनाएँ:

- **वृत्ताकार अर्थव्यवस्था (Circular Economy):** समझें कि स्क्रेपिंग नीति वृत्ताकार अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देती है, जहाँ सामग्रियों का पुनः उपयोग किया जाता है और अपशिष्ट को न्यूनतम किया जाता है।

- **पर्यावरणीय विनियम (Environmentla Regulations):** पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ स्क्रेपिंग प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने में CPCB और अन्य नियामक निकायों की भूमिका नीति कार्यान्वयन और शासन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत की वाहन स्क्रेपिंग नीति अपने वाहन बेड़े के आधुनिकीकरण, प्रदूषण कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति जहां महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करती है, वहीं इसके कार्यान्वयन में चुनौतियाँ भी हैं, खासकर बुनियादी ढाँचे, वित्तीय प्रोत्साहन और नियामक अनुपालन से संबंधित। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, स्क्रेपिंग क्षमता बढ़ाने और बेहतर प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित करने सहित सुझाए गए सुधारों को एकीकृत करके, यह नीति उत्सर्जन कम करने, उद्योग विकास को बढ़ावा देने और जन स्वास्थ्य में सुधार के अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

Q1. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं (RVSF) के निलंबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. निलंबित RVSF, मोटर वाहन (वाहन स्क्रेपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहे।
2. RVSF को वाहन के पुर्जों के अनुचित निपटान सहित, जीवन-अंत वाहनों (ELV) के प्रबंधन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया।
3. निलंबित RVSF को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा आयोजित सरकारी ई-नीलामी में भाग लेने से रोक दिया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Q2. पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं (RVSF) द्वारा नियमों का पालन न करने के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की गई है?

1. RVSF को बिना डिजिटल हस्ताक्षर के अमान्य जमा प्रमाणपत्र (CoD) जारी करते हुए पाया गया।
2. निलंबित RVSF को अनुपालन मानकों को पूरा करने और सरकारी ई-नीलामी में भागीदारी जारी रखने के लिए विस्तार दिया गया।
3. RVSF को मेटल स्क्रेप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) द्वारा आयोजित सरकारी ई-नीलामी में तब तक भाग लेने से रोक दिया गया है, जब तक वे आवश्यक अनुपालन पूरा नहीं कर लेते।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1

उत्तर:

- (a) 1 और 3
- (a) 1 और 2

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

1. भारत की वाहन स्क्रेपिंग नीति की प्रमुख विशेषताओं और उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए। यह नीति पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देती है? (10 अंक, 150 शब्द)
2. नीति के नियमों का पालन न करने के कारण पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधाओं (RVSF) का निलंबन इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। वाहन स्क्रेपिंग नीति के सफल प्रवर्तन में नियामक और परिचालन संबंधी चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए और इन चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)



Result Mitra

(वैकल्पिक विषय) 

OPTIONAL SUBJECT

GEOGRAPHY

OPTIONAL

Fee - मात्र 6499 ₹

केवल 21 से 26 जून

30 अंक केवल 31 अंक



OPTIONAL SUBJECT 

वैकल्पिक विषय

PSIR

Fee - मात्र 6999 ₹

केवल 01 से 06 जुलाई

08 अंक केवल 01 अंक

